न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/1 1/2019

श्यामवीर सिंह पुत्र प्रेमसिंह, जाति जाट, निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

....अपीलान्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिए तहसीलदार भरतपुर।

.....रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरुद्ध निर्णय दि0 25.06.2019 न्यायालय तहसीलदार नदबई उनवानी राज0 सरकार बनाम श्यामवीर प्रकरण सं. 08/2019

———

उपस्थित :–
1–श्री गोविन्द सिंह डागुर एड0, अभिभाषक अपीलाण्ट।
2–राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांक 20.11.2019

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय दि0 25.06.2019 तहसीलदार नदबई इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहत अदालत का अपीलाधीन निर्णय दि0 25.06.2019 खिलाफ कानून होने से काबिल खारिज के है। अपीलाण्ट के विरुद्ध पूर्व में भी पटवारी हलका मांझी की रिपोर्ट पर धारा 91 एल.आर. एक्ट में तहत न्यायालय द्वारा दि0 17.10.2017 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलाण्ट द्वारा अपील उनवानी श्यामवीर बनाम राज0 सरकार अपील सं. 40/17 न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। जिसका निर्णय न्यायालय हाजा द्वारा दि0 17.07.2018 को करते हुए

.....2

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नदबई को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया था कि वे अपीलाण्ट की उपस्थिति में विवादित आराजी की पैमाइश करायें, व मौका देखें तथा कथित अतिक्रमण (निर्माण) विवादित आराजी में है या प्रार्थी की खातेदारी के रकबे में है। हलका पटवारी के बयान वगैरह लेकर अपीलाण्ट को जिरह का मौका देकर विधिवत पुनः निर्णय पारित करें, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि0 17.07.2018 की अनुपालना न कर पुनः नोटिस धारा 91 एल.आर. एक्ट पर उक्त निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दि0 17.07.2018 का कोई भी हवाला नहीं दिया गया और न ही न्यायालय हाजा के निर्देशों की पालना की गई। तहत न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व न तो मौके पर जाकर विवादित आराजी की पैमाइश की गई और न पटवारी हलका के बयान लिए गए, न ही अपीलाण्ट को जिरह का मौका दिया। तहत न्यायालय का निर्णय दि0 25.06.2019 कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से काबिल खारिजी के है। दिनांक 11.01.2019 को तहसीलदार नदबई के आदेश दिनांक 03.01.2019 को पटवारी हलका/गिरदावर द्वारा विवादित खसरा नंबर 897 गैर मुमकिन रास्ता पर निशानात कायम किए गए। क्या मौके पर तहसीलदार स्वयं उपस्थित हुआ व खसरा नंबर 897 की क्या पैमाइश की गई, कितना–कितना रकबा रास्ता का पाया गया व कितने रकबे पर किन–किन व्यक्तियों का अतिक्रमण पाया गया, का उल्लेख कहीं भी नहीं है। जबकि तहत न्यायालय द्वारा नए तरीके से धारा 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस देकर कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। खसरा नंबर 848 की बगल में खसरा नंबर 897 विवादित है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 3 माह (90 दिवस) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जबकि अपीलाण्ट के विरुद्ध प्रथम वाद धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही दि0 17.10.2017 को की गई थी, जिसकी अपील होने पर न्यायालय हाजा द्वारा दि0 17.07.2018 को अपील स्वीकार करते हुए तहत न्यायालय का आदेश दि0 17.10.2017 को निरस्त कर पुनः विधिवत सुनवाई कर पैमाइश कर आदेश पारित करने को निर्देशित किया गया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित न कर पुनः धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही कर पश्चातवर्ती मानकर 90 दिवस की सजा का आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है, जबकि पश्चातवर्ती का कोई प्रकरण ही नहीं बनता। इस प्रकार अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दि0 25.06. 2019 निरस्त किया जावे।

.....3

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेण्ट के विरुद्ध नोटिस जारी किये गये एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार नदबई से तहत पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसिल की गई है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि तहत न्यायालय ने पूर्व में इसी खसरा नम्बर 897 रकवा 1.35 में से 0.01 है0 गैर मुमकिन रास्ता ग्रांम मांझी पर अपीलान्ट का अतिक्रमण मानते हुये विवादित आराजी से बेदखल किये जाने एवं पैनल्टी कायम किये जाने की आदेश दिनांक 17.10.17 को दिये गये थे, तहसीलदार द्वारा पारित उक्त आदेश 17.10.17 के खिलाफ श्रीमान के समक्ष अपील पेश की गई थी जिसे श्रीमान द्वारा स्वीकार करते हुये तहसीलदार नदबई को इस निर्देश के साथ रिमान्ड किया गया था कि अपीलान्ट की उपस्थिति में विववादित आराजी पैमाईस करावें, मौका देखें तथा कथित अतिक्रमण (निर्माण) में है या प्रार्थी के खातेदारी रकवे में है हल्का पटवारी के बयान वगै0 लेकर अपीलान्ट को जिरह का मौका देकर विधिवत पुनः निर्णय पारित करें। योग्य अभिभाक का तर्क है कि तहसीलदार नदबई द्वारा उक्त रिमाडं आदेश की पालना में कोई कार्यवाही नहीं की जाकर नये सिरे से अपीलान्ट के विरुद्व धारा 90 एलआर एक्ट तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मान कर सिविल कारावास की सजा एवं पैनेल्टी से दण्डित किये जाने की आज्ञा दी गई है। योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि विवादित आराजी को लेकर सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार को यह कार्यवाही नहीं करनी चाहिये थी। श्रीमान के पूर्व आदेश की पालना में तहसीलदार ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विवादित आराजी का मौका रिपोर्ट पैमाईस रिपोर्ट नहीं ली गई है। पटवारी हल्का के बयान वगै. भी नहीं लिये गये हैं। तहसीलदार नदबई ने मनमाना विधि विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है।

राजकीय अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता पर दीवार बनाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर तहसीलदार ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया

.....4

है। विगत सम्वत् में भी अपीलान्ट ने विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसके विरुद्ध तहसीलदार ने उचित कार्यवाही करते हुये बेदखली आदेश पारित किये गये थे। अपीलान्ट द्वारा सम्वत् 2075 में अतिक्रमण किया है, जिसके विरुद्ध यह कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। राजकीय अभिभाषक ने यह भी बताया कि पूर्व अपील में श्रीमान न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.7.18 के खिलाफ माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहॉ अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की हुई, जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा तहसीलदार नदबई की सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के कारण तहसीलदार द्वारा श्रीमान के पूर्व आदेश के तहत कार्यवाही नही हो सकी है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 897 के रकवा 0.01 है0 किस्म भूमि गैर मुमकिन रास्ता पर दीवार बनाकर अतिक्रमण करने के कारण तहसीलदार नदबई ने कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। योग्य अभिभाषक का यह तर्क है कि विवादित आराजी पर पूर्व में अतिक्रमण मानते हुये तहसीलदार नदबई ने आज्ञा दिनांक 17.10.2017 को पारित की गई जिसकी अपील इस न्यायालय में की गई, अपील दिनांक 17.7.18 को स्वीकार कर तहसीलदार नदबई को इस निर्देश के साथ रिमान्ड की गई कि ''..अपीलान्ट की उपस्थिति में विववादित आराजी पैमाईस करावें, मौका देखें तथा कथित अतिक्रमण (निर्माण) में है या प्रार्थी के खातेदारी रकवे में है हल्का पटवारी के बयान वगै0 लेकर अपीलान्ट को जिरह का मौका देकर विधिवत पुनः निर्णय पारित करें...।'' तहसीलदार ने न्यायालय के उक्त आदेश की पालना नहीं की गई अपितु धारा 91 के तहत नई कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो गलत है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है क्यों कि तहत न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जबाब अपीलान्ट अतिक्रमी, एवं नकल फोटो प्रति न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर के यहॉ प्रस्तुत अपील एवं आर्डरसीट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पूर्व पारित इस न्यायालय आदेश दिनांक 17.7.18 के विरुद्ध अपीलान्ट द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहॉ अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा तहसीलदार नदबई सम्बन्धित पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावलीयॉ तलब की

.....5

हुई हैं। ऐसी स्थिति में मेरी विनम्र राय में जब तहसीलदार नदबई की सम्बन्धित पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्धारा मंगाली ली गई हो तो तहसीलदार नदबई के पास माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहॉ से निर्णय उपरान्त पत्रावली आने पर ही कार्यवाही संभव है। तहसीलदार नदबई ने अपीलान्ट द्वारा सम्वत् 2075 में विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण किया हुआ है तो रिपोर्ट पटवारी के आधार पर नवीन प्रकरण धारा 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज कर कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.6.19 में अपीलान्ट को पाश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये विवादित आराजी से बेदखल करने, पैनल्टी कायम किये जाने तथा सिविल कारावास सजा से दण्डित किया गया है। तहत पत्रावली एवं अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहत न्यायालय ने हल्का पटवारी के बयान नहीं लिये गये हैं और नाहीं पूर्व में बेदखली के सम्बन्ध में घटनाबही की नकल पत्रावली पर ली गई हैं। अपीलान्ट को भी साक्ष्य एवं जिरह हेतु अवसर नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश 25.6.19 को समर्थन योग्य नहीं पाते हैं। अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार नदबई को इस निर्देश के साथ कि वे विवादित आराजी की पैमाईस अपीलान्ट की उपस्थिति कराकर, हल्का पटवारी के बयान एवं जिरह का मौका देते हुये अपीलान्ट को साक्ष्य वगै. का मौका देते हुये पुनः विधिवत निर्णय हेतु रिमान्ड किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.6.19 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार नदबई को इस निर्देश के साथ कि वे विवादित आराजी की पैमाईस अपीलान्ट की उपस्थिति में कराकर, हल्का पटवारी के बयान एवं जिरह का मौका देते हुये अपीलान्ट को साक्ष्य वगै. का मौका देते हुये पुनः विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा0जोगाराम)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

पत्रावली पर बहस सुनी गई। अपीलाण्ट के योग्य अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए नामान्तकरण सं0 699 में प्रार्थी का नाम अशोक कुमार के स्थान पर अशोक सिंह किए जाने का निवेदन करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार किए जाने की प्रार्थना अपनी बहस में की गई है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किए जाने योग्य पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण सं0 699 दि0 25.11.2002 सेवर कलां में अशोक कुमार पुत्र मूलचंद के स्थान पर अशोक सिंह पुत्र मूलचंद दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को सुनाया गया।

(डॉ0 जोगाराम)
जिला कलक्टर
भरतपुर